। । ग्रामीण भारत । ।
कौशाम्बी

खण्ड-1 अंक-2 जनवरी, 2006 कुल 4 पृष्ठ

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण- कौशाम्बी (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार पत्र

विकास खण्ड सिराथू के ग्राम मलाक भायल में "रा०गा०रो०गा०यो०" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते सहायक अभियन्ता , परियोजना निदेशक, (डी आर डी ए) एवं खण्ड विकास अधिकारी सिराथू (दायें से बायें)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रहाने वाले गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए चलायी जा रही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2000 में शुरू की गयी थी।इसी क्रम में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय काम के वदले अजाज कार्यक्रम को भी प्रदेश के अति पिछडे 15 जनपदों में लागू किया गया।उक्त दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करना एवं गांव में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना है।

इसी कडी में भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट -2005" लागू किया गया है।इस कार्यक्रम का शुभारम्भ मा० प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार डा० मन मोहन सिंह जी द्वारा 02 फरवरी, 2006 को किया जायेगा। 02 फरवरी, 2006 से इस एक्ट के अनुसार "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में लागू हो जायेगा।जनपद कौशाम्बी भी प्रदेश के 22 जनपदों में से एक है।योजना में जनपद को चयनित करने के लिए जनपद वासियों की ओर से मा० प्रधानमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं।

-सम्पादक

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएं

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०)
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी०आर०वाई०)
3. इन्दिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)
4. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) (पी०एम०जी०वाई०)
5. समेकित वंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्लू०डी०पी०)
6. विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (एम०एल०ए०-लैडस)
7. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एम०पी०-लैडस)
8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन०आर०ई०जी०वाई०)

विकास एक निरंतर प्रक्रिया है।देश के विकास के लिए आवश्यक है कि देशवाशी सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से विकसित हों।समाज के बौद्धिक विकास के लिए सरकार द्वारा शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि आम आदमी आर्थिक रूप से कमजोर न हो।भारत जैसे देश में जहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, आर्थिक विकास का आधार मूलतः कृषि है। गुलामी से आजाद हुए 58 वर्ष बीत चुके हैं फिर भी अभी अधिकांश आवादी आर्थिक रूप से आजादी के सपने संजोये विकास की राह तक रही है। ऐसे में कोई मसीहा आकर अगर आर्थिक रूप से मुक्ति दिलाने और एक दिन में कम से दो वक्त की रोटी, वदन पर कपडे व रहने के लिए एक छत देने की बात करता है तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब भारत "सम्पूर्ण स्वतंत्र" देश हो जायेगा।

चौथी पंचवर्षी योजना के दौरान "त्वरित ग्रामीण रोजगार योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य को लेकर शुरू की गयी थी, परन्तु संसाधनों का इंतजाम न होने और प्रवन्धन की खामियों के चलते इस योजना को मात्र तीन वर्षों में वन्द कर देना पडा।अव जव हमारे पास संसाधन भी हैं और सूचना का कानूनी अधिकार भी, जों योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में उपयोगी सावित होगा।

-समाचार सम्पादक

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चायल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते श्री एन0पी0 सिंह, परियोजना निदेशक एवं श्री सुनील कुमार तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी चायल

रोजगार गारन्टी योजना

1. ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोजगार की गारण्टी प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है ।
2. मॉग आधारित योजना होने के कारण परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में होगा।
3. ग्राम पंचायत एक रोजगार कार्ड सम्बन्धित परिवार को जारी करेगी जिसके आधार पर परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
4. मॉग के 15 दिन के अन्दर श्रमिकों को कम से कम 14 दिन का रोजगार एक बार में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. ग्राम पंचायतें रोजगार आवंटित करेंगी और इसका अभिलेख रखेंगी।
6. रोजगार श्रमिक के निवास के 05 कि0मी0 के अन्दर दिया जायेगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी भुगतान होगा।
7. यदि 15 दिन के अन्दर रोजगार न दिया गया तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान
8. किया जायेगा जो वित्तीय वर्ष के प्रथम 30 दिन के लिए मजदूरी का 1/4 और शेष दिनों के लिए 1/2 होगा।
9. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, श्रमिकों के रेस्ट हेतु बच्चों के लिये एक शेड की व्यवस्था। यदि 06 वर्ष से कम आयु के 05 या अधिक बच्चे महिला मजदूरों के साथ आये तो उनकी देखभाल हेतु एक महिला श्रमिक योजना के फण्ड से तैनात की जायेगी।
10. कार्यस्थल पर कार्य में दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 25000.00 दिया जायेगा।
11. मजदूरी का सामयिक भुगतान एक सप्ताह के अन्दर, विलम्बतम 15 दिन के अन्दर 1/3 महिला श्रमिकों की संख्या।
12. मजदूरी की दर राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य।
13. केन्द्र सरकार मजदूरी की दरें समय–समय पर निर्धारित कर सकेगी जो रू0 60.00 प्रति मानव दिवस से कम नहीं होगी।
14. मजदूरी का भुगतान पूर्णतया नकद किया जायेगा।
15. मजदूरी का नकद अंश का भुगतान प्रति दिन के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की जानी है।
16. जिला स्तर पर योजना हेतु कार्यक्रम समन्वयक (Programme Co-ordinator) होगा, जो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा समतुल्य स्तर का जनपदीय अधिकारी होगा। ब्लाक स्तर पर राज्य सरकार कार्यक्रम अधिकारी (Programme Officer) नियुक्त करेगी जो खण्ड विकास अधिकारी से नीचे स्तर का नहीं होगा। ये जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। कार्यक्रम अधिकारी केवल इसी योजना के कार्य हेतु तैनात किये जाने की अपेक्षा है।
17. कार्यक्रम अधिकारी एवं उसके सहयोगी स्टाफ के वेतन का भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
18. सभी स्तर की पंचायतें योजना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगी।
19. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं ब्लाक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी पंचायत संस्थाओं को सहयोग प्रदान करेंगे।
20. ग्राम सभा कराये जाने वाले कार्यो की संस्तुति करेंगी।
21. न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय भार की दृष्टि से कार्यो का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।
22. सामाजिक सम्प्रेक्षा की व्यवस्था होगी।
23. क्षेत्र पंचायत कार्यो का प्राथमिक अनुमोदन करेंगी। ग्राम पंचायतें के कार्यो का अनुश्रवण एवं देख–रेख करेंगी।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

24. जिला पंचायत ब्लाकवार शेल्फ आफ प्रोजेक्ट को अन्तिम अनुमोदन देंगी तथा अनुश्रवण एवं देख–रेख करेंगी।
25. कार्यक्रम अधिकारी क्षेत्र पंचायत की सहायता करेगा और रोजगार अवसरों की मॉग का समायोजन करेगा। ब्लाक प्लान बनाये जाने और इसका क्षेत्र पंचायत का अनुमोदन कराने, परियोजना के अनुश्रवण के दायित्व का निर्वहन करेगा।

कार्यक्रम अधिकारी

आवश्यकता पड़ने पर बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति एवं मजदूरी का भुगतान त्वरित एवं सही वितरण, नियमित सामाजिक सम्प्रेक्षा एवं परिवाद निवारण सुनिश्चित करेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक ब्लाकवार प्लान प्रस्तावों को संकलित करेगा और जिला पंचायतों के सामने प्रस्तुत करेगा। जिला पंचायत के समक्ष अनुमोदन हेतु श्रम बजट तैयार कर प्रस्तुत करेगा। प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत करेगा एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक

1. कार्यक्रम अधिकारी के साथ समन्वय, योजनाओं की देख–रेख, अनुश्रवण एवं परिवाद निवारण के दायित्व का निर्वहन करेगा।
2. योजनान्तर्गत जल संरक्षण, जल संचय, परम्परागत जल श्रोतों में सुधार, भूमि सुधार, बाढ नियंत्रण एवं बाढ सुरक्षा के कार्य, जल भराव क्षेत्रों से जल निकासी, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सुनिश्चित करने हेतु सर्व ऋतु सम्पर्क मार्ग और अनुसूचित जाति जनजाति, इन्दिरा आवास एवं भूमि सुधार के लाभार्थियों को सिंचन सुविधा एवं अन्य ऐसे कार्य जो केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के परामर्श से तय करेगी, लिये जा सकते हैं।
3. कार्य हेतु कम से कम 50 मजदूरों उपलब्ध होने पर ही नये कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे। सामग्री अंश 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसमें कुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है। ठेकेदारी व्यवस्था पर प्रतिबन्ध होगा एवं श्रमिकों को विरत करने वाली मशीनों का प्रयोग वर्जित होगा।
4. ग्राम सभा ग्राम पंचायत को कार्यो की अनुशंसा करेगी जिसके आधार पर ग्राम पंचायत कार्ययोजना बनायेगी जिसे कार्यक्रम अधिकारी क्षेत्र पंचायत से अनुमोदित करायेगा। कार्ययोजना में कार्यदायी संस्था चिन्हित होगी। क्षेत्र पंचायत अनुमोदनोपरान्त कार्ययोजना जिला पंचायत को प्रेषित करेगी जिसे जिला पंचायत अंतिम रूप देगी।
5. कार्यो हेतु शेल्फ आफ प्रोजेक्ट कार्यदायी संस्था के पास प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियों के साथ उपलब्ध रहेंगे ताकि मॉग पर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जा सके। ग्राम पंचायतों की भागीदारी कार्ययोजना के धनराशि के 50 प्रतिशत सीमा तक न्यूनतम रूप से सुनिश्चित है।
6. केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, पंचायती राज संस्थायें, स्वयं सेवी संस्थायें अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा शासकीय उपक्रम कार्यदायी संस्था हो सकेंगी।
7. योजना में प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित अधिकारियों के निरीक्षण, सामाजिक सम्प्रेक्षा, व्यय धनराशि की सामयिक सम्प्रेक्षा, अभिलेख एवं लेखा जनसाधारण के निरीक्षण हेतु उपलब्धता, सामुदायिक उपस्थिति में मजदूरी का भुगतान, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेंगे।जिला एवं ब्लाक स्तर पर परिवाद निवारण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिसमें मुख्यतः ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराये जाने में चूक, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किया जाना, मजदूरी का भुगतान न किये जाने, कार्यस्थल पर सुविधायें न उपलब्ध कराये जाने एवं महिला श्रमिकों के साथ भेदभाव एवं उत्पीड़न मुख्य बिन्दु होंगे।
9. अकुशल मजदूरों की मजदूरी हेतु धनराशि एवं सामग्री अंश का 75 प्रतिशत जिसमें कुशल एवं अकुशल मजदूरों की मजदूरी सम्मिलित है तथा प्रशासकीय व्यय जिसमें कार्यक्रम अधिकारी और उनके सहयोगी स्टाफ का वेतन केन्द्रीय परिषद का व्यय, ग्राम पंचायतों की क्षमतावर्धन हेतु व्यय, श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधा एवं अन्य मदे जो भारत सरकार द्वारा निश्चित की जाये, सम्मिलित हैं पर होने वाले व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
10. सामग्री अंश का 25 प्रतिशत जिसमें कुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रमिकों की

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

मजदूरी सम्मिलित है, देय बेरोजगारी भत्ता एवं राज्य परिषद का प्रशासकीय व्यय–भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

11. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी फण्ड तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारण्टी फण्ड स्थापित किया जायेगा।

12. केन्द्र एवं राज्य रोजगार गारण्टी परिषद का प्राविधान। परिषद द्वारा समय–समय पर योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण, प्रचार–प्रसार तथा अपने क्षेत्र में अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों पर सलाह प्रदान करना।

राष्ट्रीय सम विकास योजना :

योजनान्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2004-05 की दोनो किश्तों की धनराशि 1500.00 लाख जनपद को प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत परियोजनाओं पर 1356.05 लाख की धनराशि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि 1356.05 लाख के सापेक्ष 1205.35 लाख की धनराशि का उपभोग स्वीकृत परियोजनाओं पर कर लिया गया है जो अवमुक्त का 88.89 प्रतिशत है जबकि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत 80.38 है।

गोपाल स्वयं सहायता समूह फरीदपुर चक ताजपुर वि0ख0 मूरतगंज मासिक बैठक करते हुए स्वयं सेवी

समग्र ग्राम लौधना वि0ख0 सरसवां में राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग का निरीक्षण करते हुए सहायक अभियन्ता, डी आर डी ए श्री डी0के0 श्रीवास्तव

अन्य योजनाओं में धनराशि अवमुक्त /व्यय की स्थिति

SN	Name of Scheme *(Data updated on)*	Financial Progress (Rs.in Lakhs)			
		Outlay	Total Funds Available	Expenditure	Balance
1	2	3	4	5	6
1	SGSY	364.99	341.19	326.60	14.59
2	SGRY	1439.99	1545.79	1192.85	352.94
3	IAY	376.81	279.03	267.92	11.11
4	PMGY (Rural Housing)	56.00	61.91	46.63	15.28
5	Vidhayak Nidhi	300.00	425.11	287.84	137.27
6	DRDA Administration	57.00	43.98	33.50	10.48

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

सम्पादक मण्डल

जिलाधकारी, कौशाम्बी	: संरक्षक
मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी	: प्रधान सम्पादक
परियोजना निदेशक, DRDA कौशाम्बी	: सम्पादक
जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी	: उप सम्पादक
सहायक अभियन्ता, DRDA कौशाम्बी	: तकनीकी सम्पादक
लेखाकार, DRDA कौशाम्बी	: प्रूफ रीडर तकनीकी विषेशज्ञ
कम्प्यूटर प्रोग्रामर, DRDA कौशाम्बी	: समाचार सम्पादक

"ग्रामीण भारत" मासिक पत्रिका को बहुउपयोगी बनाने हेतु आपके सुझाव/टिप्पणी निम्न पते पर आमंत्रित है :-

"ग्रामीण भारत"

विकास भवन, (कम्प्यूटर कक्ष)

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी।

E-Mail : drda-kos@up.nic.in

Phone : 05331-232605

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या G.O./152/स्था०-5/2004 दिनांक 05.01.2005 के परिपालन में

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-कौशाम्बी

द्वारा प्रकाशित

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com